**योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)**: 1980 के शुरू में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अनुमानतः 34.7 लाख रही है। 1980—85 की छठी योजना की अवधि में 340 लाख मानक श्रम-वर्ष के अतिरिक्त रोजगार सृजन का अनुमान लगाया गया है इसमें मजदूरी युक्त/वेतन युक्त रोजगार और स्वरोजगार—दोनों ही शामिल हैं।

**वर्ष 1981 में दिल्ली में अपराध**

9235. **श्री मूल चन्द डागा**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1981 से आज तक दिल्ली में कत्ल, डकैती, लूटमार और चोरी की कितनी घटनाएं हुई और चोरियों में कितने मूल्य का सामान चोरी गया;

(ख) कितने मामलों में अपराधी पकड़े गये और उन का चालान किया गया तथा कितने मामलों में अपराधियों को नहीं ढूंढा जा सका और ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने और कैसे (ब्यौरे सहित) मामलों में पुलिस कर्मी अन्तर्ग्रस्त थे और ऐसे पुलिस कर्मियों का पद-दर्जा क्या क्या था; और

(घ) उन के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**: (क) 1 जनवरी, 1981 से 15 अप्रैल, 1981 तक की अवधि के आंकड़े नीचे दिये हैं :—

| | |
|---|---|
| डकैती | 4 |
| हत्या | 59 |
| लूटमार | 58 |
| चोरी | 5587 |
| बलात्कार | 23 |

चोरी के मामलों में लगभग 1,57,35,600.00 रु० की राशि अन्तर्ग्रस्त है।

(ख) इन में से 173 मामलों में 608 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। 79 मामलों में 109 व्यक्तियों का चालान किया गया। कत्ल के 20 मामलों, डकैती के 3 मामलों, लूटमार के 32 मामलों, चोरी के 5237 मामलों और बलात्कार के 1 मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है और इन मामलों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(ग) और (घ). कत्ल के एक मामले और बलात्कार के दो मामलों में पुलिस कर्मियों का हाथ था। इन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

**विवरण**

1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 थाना नजफगढ़, दिल्ली के अधीन 8-3-81 के मामले एफ० आई० आर० सं० 53 में प्रथम बटालियन, डी० ए० पी० के कांस्टेबल बीरेन्द्र सिंह सं० 432—डी० ए० पी० का हाथ है। उसे इस मामले में एक दूसरे कांस्टेबिल की हत्या करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(2) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, थाना पहाड़गंज, दिल्ली के अन्तर्गत ता० 5-1-81 के मामले एफ० आई० आर० सं० 31 में सुखबीर सिंह नामक एक कांस्टेबल (ड्राइवर) का हाथ है। इस मामले में अभियुक्त कांस्टेबल सुखबीर सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की अभी जांच पड़ताल की जा रही है। कांस्टेबल ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया है। मामले की जांच-पड़ाल चल रही हैं।

(3) भारतीय दण्डसंहिता की धारा 376 थाना आदर्शनगर, दिल्ली के अन्तर्गत ता० 14-4-81 के मामले एफ० आई० आर० सं 258 में थाना पहाड़गंज में नियुक्त दो कांस्टेबलों नामत: जगमालसिंह और नत्थू राम का हाथ है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

**राज्यों के योजना आयोगों का गठन**

9236. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में राज्य योजना आयोग का गठन किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इसका ढांचा क्या होगा ; और

(ग) किन-किन राज्यों में ये आयोग इस बीच गठित किए गए हैं और बाकी के राज्यों में ये कब तक गठित किए जायेंगे ?

**योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :** (क) राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वे अपने राज्यों में योजना कार्यों के लिए संदर्भन के लिए अपनी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त किसी रूप में शिखर योजना निकाय स्थापित करें ।

(ख) राज्यों को अपने यहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिखर योजना निकायों के गठन को अभी निर्धारित करना है ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

**विवरण**

| | |
|---|---|
| 1. उन राज्यों के नाम जिन्होंने शिखर योजना निकाय स्थापित किए हैं । | असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल । |
| 2. उन राज्यों के नाम जिनको शिखर योजना निकाय अभी स्थापित करने हैं। | आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम । |
| 3. उन राज्यों के नाम जो अब शिखर योजना निकाय पुनर्गठित कर रहे हैं । | उड़ीसा और राजस्थान । |